"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नंगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] रायपुर, शनिवार, दिनांक 18 फरवरी 2012—माघ 29, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 3-15/2008/1/एक.—छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम, के नियम चार के अनुसरण में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अपने निम्नलिखित मंत्रियों के प्रभार में उनके नाम के सामने दिये गये विभाग और/या विभाग की कार्य-सूची के विषय सौंपते हैं :—

स. क्र. (1)	नाम (2)	सौंपे गए विभाग और/या विभाग की कार्य-सूची के विषय (3)
1.	श्री रामविचार नेताम, मंत्री	जल संसाधन, आयाकट, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन, विज्ञान और प्रोद्योगिकी.
2.	श्री हेमचंद यादव, मंत्री	पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विधि एवं विधायी कार्य
3.	श्री अमर अग्रवाल, मंत्री	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्यकर एवं नगरीय प्रशासन.
4.	श्री राजेश मूणत, मंत्री	आवास एवं पर्यावरण, परिवहन, वाणिज्य एवं उद्योग
5.	श्री दयाल दास बघेल, मंत्री	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.